# नेशनल मिशन

## ऑन ऑइलसीड्स एण्ड ऑइलपॉम (NMOOP)

**बायोफ्यूल प्राधिकरण**

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**

# नेशनल मिशन ऑन ऑइलसीड्स एण्ड ऑइलपॉम ( NMOOP )

**National Mission on Oilseeds and Oil Palm-Mini Mission-III (NMOOP-MM-III)**

भारत देश खाद्य तेलों के उत्पादन एवं आयात की दृष्टि से विश्व के प्रमुख देशों में सम्मिलित हैं। आर्थिक दृष्टि से भारत का वानस्पतिक तेल उत्पादन में अमेरीका, चीन व ब्राजील के बाद चौथा स्थान है। देश वानस्पतिक तेल उत्पादक फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र में 13 प्रतिशत, उत्पादन में 3 प्रतिशत व आर्थिक मूल्यों के आधार पर 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हैं। विश्व में लगभग 270 लाख हैक्टेयर सीमान्त कृषि क्षेत्र में वानस्पतिक तेल उत्पादक फसलों की बुवाई की जाती है जिसमें से 72 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा आधारित (Rainfed Farming) है।

भारत सरकार के सहयोग से देश में वानस्पतिक तेलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढाने हेतु नेशनल मिशन ऑन ऑइलसीड्स एण्ड ऑइलपॉम के अन्तर्गत 3 मिनी मिशन चलाने का प्रवधान किया गया:-

1. **Mini Mission-I :** इस मिशन के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना में ऑइलसीड्स फसलों के औसत उत्पादन 28.93 मिलियन टन एवं उत्पादकता 1081 किग्रा. प्रति हैक्टेयर से बढाकर औसत उत्पादन 35.51 मिलियन टन एवं उत्पादकता 1328किग्रा प्रति हैक्टेयर के लक्ष्य को हांसिल करना रखा गया।

2. **Mini Mission-II :** इस मिशन का उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऑइलपॉम के वर्तमान बुवाई क्षेत्र में राज्य में स्थित बरानी भूमि का उपयोग कर 1.25 लाख हैक्टेयर. की बढौतरी करना व फ्रेश फ्रूट ब्रांच (FFBs) की उत्पादकता 4927 किग्रा प्रति हैक्टेयर को बढाकर 15000 किग्रा प्रति हैक्टेयर किया जाना रखा गया।

3. **Mini Mission-III :** इस मिशन का मुख्य उद्देश्य वृक्ष जनित तैलीय पौधों से वर्तमान में 9 लाख टन बीज एकत्रिकरण को बढाकर 14 लाख टन तक पहुँचाने व तैलीय पौधों के सर्वोत्कृष्ट प्लांटिग मेटेरियल का उपयोग करते हुये बंजर भूमि पर इन का विस्तार करना है।

नेशनल मिशन ऑन ऑइलसीड्स एवं ऑइलपॉम की सफलता के लिये निम्नानुसार मुख्य रणनितियों का मिशन में प्रवधान रखा गया:-

1. अच्छे गुणवत्ता युक्त बीजों/प्लांट मेटेरियल का उपयोग कर बीज प्रतिस्थापन दर को बढाना।
2. ऑइलसीड फसलों में सिंचाई हेतु उन्नत तकनिक, विधियों व संसाधनों उपयोग कर फसल के 26प्रतिशत सिंचित क्षेत्र को बढ़ाकर 36प्रतिशत तक पहुँचाना।
3. निम्न उत्पादक खाद्यान फसली क्षेत्र को ऑइलसीड्स फसलों हेतु उपयोग करना।
4. खाद्यान, दलहन, गन्ना आदि फसलों के साथ ऑइलसीड्स फसलों को अन्तराशस्य के रूप में बुवाई करना।
5. पड़त एवं बंजर भूमि पर ऑइलसीड्स फसलों की बुवाई करना।
6. जल ग्रहण क्षेत्र एवं बंजर भूमि पर ऑइलपॉम एवं ऑइलसीड्स फसलों की बुवाई कर इनके फसल क्षेत्र का विस्तार करने को प्रोहत्साहन देना।
7. ऑइलपॉम एवं ऑइलसीड्स फसलों के अच्छे गुणवत्ता युक्त प्लांटिक मेटेरियल की उपलब्धता को बढाना।
8. वृक्ष जनित तैलीय पौधों के बीजों का एकत्रिकरण, संरक्षण एवं प्रोसेसिंग को बढावा देना।
9. ऑइलपॉम एवं वृक्ष जनित तैलीय पौधों के प्रस्वकालावस्था में अन्तरा शस्य कर कृषकों की आमदनी को बढाना चाहिये।
10. मिशन की सभी गतिविधियों को सभी लाभार्थियों द्वारा मिशन मोड में क्रियान्वित की जानी चाहिये।

राज्य में भारत सरकार द्वारा NMOOP के अन्तर्गत Mini Mission-III (मिनी मिशन ऑन TBOs अर्थात वृक्ष जनित तिलहन) लागू किया गया है। राजस्थान में परम्परागत फसलों के साथ साथ फसल विविधिकरण हेतु क्षेत्र विशेष की कृषि जलवायु, में तुलनात्मक रूप से अन्य व्यवसायिक फसलों की उपयुक्ता, संभावना एवं भविष्य की माँग को ध्यान में रखकर तिलहनों की खेती के सघन क्षेत्र विस्तार में यह मिशन काफी हद तक सहयोगी होगा।

**राजस्थान में Mini Mission-III में रतनजोत, करंज, महुआ, नीम, जोजोबा व ऑलिव वृक्ष जनित तिलहनों TBOs को सम्मिलित किया गया है।**

**चयनित जिले:-** श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ, जैसलमेर, झुझूंनू, धौलपुर, अलवर (जोजोबा व ऑलिव) उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांरा, भीलवाड़ा, झालावाड़, सिरोही, कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़ (रतनजोत, करंज, महुआ, नीम)।

**चयन हेतु पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया:-**

1. मिशन के तहत कृषकों का चयन यथासंभव समूह के रूप में किया जावें एवं क्षेत्र सघन क्लस्टर के रूप में हो।

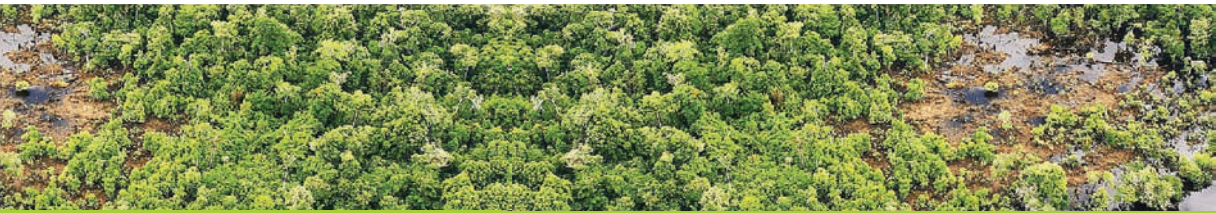

2. मिशन के तहत कृषकों एवं क्षेत्र के चयन में स्थानीय स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं को जोडकर रखा जावें।

3. मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अनुदान/सहायता हेतु आवेदन पत्र क्षेत्र के उप निदेशक कृषि (विस्तार)/उप निदेशक उद्यान/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/सहायक निदेशक उद्यान/कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/ कृषि पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करने होंगे।

4. मिशन में सभी कार्यक्रम /गतिविधियों के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में ही स्वीकार्य होंगे।

**अनुदानः-**

**अनुदान प्रक्रियाः-**

1. कृषक से आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज लगाने होंगे।
   - (अ) निर्धारित आवेदन पत्र मय फोटो।
   - (ब) भूमि की जमाबंदी/ पासबुक की नवीनतम प्रति।
   - (स) भूमि एवं पानी की विश्लेषण रिर्पोट।
   - (द) घोषणा पत्र सादे कागज पर।
   - (य) कृषक हिस्सा राशि।
2. जिला स्तर पर कृषक हिस्सा राशि जामा कराई जावें।
3. प्रति कृषक अनुदान दिये जाने हेतु अधिकतम क्षेत्रफल की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
4. सभी श्रेणी के किसानों को नये पौधारोपण पर नियमानुसार अनुदान देय है।
5. अनुदान राशि की गणना वृक्ष प्रति हैक्टर के आधार पर की जावेगी।

**( अ ) पौधों/ वृक्षों पर अनुदान -**

| S.No | Name of TBO Plant | No. of Plant Per Hact. | RxR & PxP Spacing (Mt.) | Plantation Cost Per Hact | After Plantation Maintenance cost of Plantation (Par Hac. P.A.) | Support for Inter Cropping period upto flowring stage | Gestation Period (years) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.स. | तैलीय पौधे का नाम | पौधों की संख्या /हैक्0. | लाइन से लाइन व पौधे से पौधे की दूरी (मी0.) | पौधारोपण की लागत प्रति हैक्0. (रू0.) | प्रसवकाल के दौरान संधारण हेतु प्रति हैक्0./प्रति वर्ष देय राशि (रू0.) | अन्तर शस्य (पौधों की पुष्पन अवस्था तक) प्रति हैक्0./प्रति वर्ष देय अनुदान राशि (रू0.) | प्रसवकाल (वर्ष) |
| 1 | रतनजोत | 2500 | 2x2 or 3x2 | 41000.00 | 3200 | 1000 | 2 |
| 2 | करंज | 500 | 5x4 | 20000.00 | 2000 | 1000 | 4 |
| 3 | महुआ | 200 | 7x7 | 15000.00 | 2000 | 1000 | 8 |
| 4 | नीम | 400 | 6x6 | 17000 | 2000 | 1000 | 5 |

**( ब ) संधारण /प्रसवकाल पर अनुदान –**

इस क्रम में TBOs पर प्रति हैक्टेयर उपलब्ध करवायी जाने वाली राशि को अनुदान के रूप में निम्नानुसार दिया जावेगा।

| क्र. सं. | पौधों का नाम | प्रथम वर्ष संधारण हेतु राशि | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | चतुर्थ वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| | पौधे लगाने के बाद संधारण पर होने वाले व्यय के पेटे निम्नानुसार अनुदान राशि प्रति वर्ष देय है। | | पौधे लगाने के द्वितीय वर्ष 75 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में कृषकों को डिमांड ड्राफ्ट अथवा ऑन लाइन राशि जारी की जावेंगी। | 90 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में कृषकों को डिमांड ड्राफ्ट अथवा ऑन लाइन राशि जारी की जावेंगी। | 90 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में कृषकों को डिमांड ड्राफ्ट अथवा ऑन लाइन राशि जारी की जावेंगी। |
| 1 | रतनजोत | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 2 | करंज | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3 | महुआ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 4 | नीम | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

वृक्षों का निरीक्षण कृषि विभाग/बायाफ्यूल प्राधिकरण द्वारा किये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि जारी की जावेगी।

**( स ) अन्तर शष्य पर अनुदान –**

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये वृक्ष जनित तिलहनों से उत्पादन शुरू होने तक (Gestation Period) दलहन, तिलहन एवं अन्य फसलें अन्तर शस्य के रूप में उगाये जाने की पुष्टि पर 1000/– रूपये प्रति हैक0. महत्वपूर्ण आदानों पर (पौधोंकी पुष्पन अवस्था तक) अनुदान देय है। अन्तर शस्य किये जाने की पुष्टि सहायक कृषि अधिकारी/ कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किया जावेगा। यह अनुदान उसी स्थिति में देय होगा जबकि अन्तर शस्य की जा रही है एवं पौधों की आयु के आधार पर आवश्यक प्रतिशत पौधे जीवित होने की शर्त पूरी की जाती है। कृषकों को अनुदान राशि डिमांड ड्राफ्ट अथवा ऑन लाइन जारी की जावेंगी।

नेशनल मिशन ऑन ऑइलसीड्स एवं ऑइलपॉम अन्तर्गत पौधरोपण सामग्री प्राप्त करने हेतु आवेदन

| क्र.सं. | तैलीय वृक्ष का नाम | रतनजोत | करंज | महुआ | नीम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जलवायु / क्षेत्र | शुष्क एवं उष्ण कटिबंधीय एवं जंगल | उष्ण जलवायु के अतिरिक्त क्षेत्र | उष्ण व उपोष्णव कटिबंधीय | शुष्क एवं समस्त प्रकार की जलवायु |
| 2 | उपयुक्त स्थान | जंगल, बंजर व अनुपजाऊ भूमि पर खेतों की मेढों पर | सड़क किनारे, रेलवे ट्रैक के सहाने | जंगल, चारागाह भूमि पर | जंगल, सड़क किनारे चारागाह में खेतों की मेढों पर |
| 3 | राजस्थान के उपयुक्त जिले | बारां, कोटा, झालावाड़, बूंदी, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़ | अलवर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, धोलपुर, करौली, दौसा, जयपुर टोंक, अजमेर | बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां | समस्त जिले राजस्थान |
| 4 | आकार | झाड़ीनुमा 2.5 से 3 मी. ऊचाई | गुम्बदाकार 2.5 से 4 मी. ऊँचाई | वृक्षनुमा 6 से 8 मी. ऊँचाई | वृक्षनुमा 6 से 8 मी. ऊँचाई |
| 5 | संवर्द्धन/ प्रसारण | बीज एवं कटिंग | बीज एवं ग्राफ्टिंग | बीज एवं ग्राफ्टिंग | बीज एवं कटिंग |
| 6 | बुवाई का समय | फरवरी-मार्च (कटिंग से) जुलाई-अगस्त (पौध से) | जून - अगस्त | जुलाई - सितम्बर | जून - जुलाई |
| 7 | प्रसव अवधि | अक्टूबर-नवम्बर | 4 वर्ष | 8 वर्ष | 5 वर्ष |
| 8 | एकत्र करने की अवधि | 30 से 50 क्विंट/ हैक्ट | मई - जून | मई - जून | मई - जुलाई |
| 9 | पैदावार (बीज) | 30 से 40 प्रतिशत | 50 से 80 क्विट/ हैक्ट | 120 से 160 क्विट/ हैक्ट | 10 से 30 क्विट/ हैक्ट |
| 10 | तैल की मात्रा | 30 से 40 प्रतिशत | 27 से 39 प्रतिशत | 35 से 40 प्रतिशत | 20 प्रतिशत |
| 11 | उपयोगिता | बायोडीजल, साबुन फेक्ट्री, दवाईयां, जैव-उर्वरक के रूप में | बायोडीजल, साबुन फेक्ट्री, दवाईयां, जैव-उर्वरक के रूप में | बायोडीजल, साबुन फेक्ट्री, दवाईयाँ, जैव-उर्वरक के रूप में एवं फर्नीचर | कीटनाशक, साबुन फेक्ट्री, दवाईयां, जैव-उर्वरक के रूप में एवं एवं लकड़ी एवं चारा |

प्रपत्र व घोषणा पत्र बायोफ्यूल प्राधिकरण की वेबसाइट (www.biofuel.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। व अधिक जानकारी के लिये अपने जिले के उप निदेशक कृषि (विभाग) जिला परिषद/ बायोफ्यूल प्राधिकरण जयपुर से संपर्क किया जा सकता है।


मार्गदर्शन
**सुरेन्द्र सिंह राठौड़**
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संकलन एवं परिकल्पना
**मनिन्दर जीत सिंह**
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी

आलेख
**गणपत लाल शर्मा**
सलाहकार (कृषि)



**बायोफ्यूल प्राधिकरण**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
तृतीय तल, योजना भवन, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
फोन : 0141-2224755, 2220672 फैक्स : 0141-2224754
ई-मेल : biofuelraj@yahoo.co.in, वेबसाईट : www.biofuel.rajasthan.gov.in